**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2014, 6 श्रावण, 1936 (शक) मौखिक प्रश्‍न सं. \*289**

**राष्ट्रीय राजमार्गों की चौड़ाई**

**\*289. श्री सी. पी. नारायणन:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने राजमार्ग 45 मीटर से कम चौड़े हैं;

(ग) क्या उन राजमार्गों को 45 मीटर चौड़ा बनाने का कार्य किया जा रहा है और यदि हां, तो ऐसे राजमार्गों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए दिए गए ठेकों को निरस्त कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री कृष्‍णपाल गुर्जर)**

**(क) से (ङ):** एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

**‘राष्ट्रीय राजमार्गों की चौड़ाई’ के संबंध में श्री सी. पी. नारायणन द्वारा 28.07.2014 को पूछे गए राज्‍य सभा मौखिक प्रश्‍न संख्‍या 289 के भाग (क) से (ङ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण**

**(क):** देश में राष्‍ट्रीय राजमार्गों का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक** में दिया गया है ।

**(ख)** **और (ग):** राष्‍ट्रीय राजमार्गों का उन्‍नयन निम्‍न श्रेणी से उच्‍चतर श्रेणी में किया जाता है । यातायात सघनता और संसाधनों की उपलब्‍धता के आधार पर खंडों का विकास किया जाता है । संस्‍तुत मार्गाधिकार (आरओडब्‍ल्‍यू) 30-60 मीटर है और विकास कार्य शुरू करते समय अतिरिक्‍त भूमि अधिग्रहीत की जाती है ।

**(घ) और (ङ):** भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्‍य लोक निर्माण विभागों द्वारा कार्यान्‍वित की जा रही इस मंत्रालय की लगभग 34 परियोजनाओं को आंशिक रूप से सरकारों की पूर्ववर्ती शर्तों और आंशिक रूप से रियायतग्राही/ठेकेदारों के असंतोषजनक निष्‍पादन, इक्‍विटी की कमी और बैंकों की ऋण देयताओं आदि की वजह से समाप्‍त कर दिया गया है/समय से पहले समाप्‍त कर दिया गया है/कार्य सौंपने का पत्र (एलओए) वापस ले लिया गया है ।

**अनुलग्‍नक**

‘**राष्ट्रीय राजमार्गों की चौड़ाई’ के संबंध में श्री सी. पी. नारायणन द्वारा 28.07.2014 को पूछे गए राज्‍य सभा मौखिक प्रश्‍न संख्‍या 289 के भाग (क) के उत्‍तर में उल्‍लिखित** **अनुलग्‍नक**

**देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का राज्य/संघ राज्‍य क्षेत्र–वार ब्यौरा**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र** | **राष्‍ट्रीय राजमार्ग सं.** |  **कुल लंबाई (किमी में)** |
|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4, 5, 7, 9, 16, 18, 18ए, 42 नया, 43, 63, 67वि. नया, 150 नया,167 नया, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221, 222, 234, 326, 67 नया,71 नया, 161 नया, 340 नया, 363 नया, 365 नया, 565 नया,765 नया | 4,396.74 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 52, 52ए, 153, 229, 52बी वि., 37 वि., 315ए, 713 नया, 513 नया, 313 नया, 113 नया और 713ए नया | 2,513.05 |
| 3. | असम | 6 नया, 31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 117ए नया, 127बी नया, 127ई नया, 151,152, 153, 154, 315ए नया, 127सी नया और 127डी नया, 329 नया, 427 नया, 627 नया, 702 नया, 715ए नया और 702सी  | 3,723.06 |
| 4. | बिहार | 2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 122ए नया, 131ए नया, 133 नया, 219 नया, 327ए नया, 327 वि. नया, 333 नया, 333ए नया, 527ए नया और 527सी नया | 4,538.79 |
| 5. | चंडीगढ़ | 21 | 15.28 |
| 6. | छत्‍तीसगढ़ | 6, 12ए, 16, 43, 78, 111, 130ए नया, 130बी नया, 130सी नया, 130डी नया, 149बी नया, 163ए नया, 200, 202, 216, 217, 221, 343 नया, 930नया | 3,078.40 |
| 7. | दिल्‍ली | 1, 2, 8, 10, 24 और 236 | 80.00 |
| 8. | गोवा | 4ए, 17, 17ए और 17बी | 262.00 |
| 9. | गुजरात | एनई-I, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 56, 58 नया, 59, 113 228, 251 नया, 753बी नया, 848 और 848ए नया, 848बी नया, 341 नया, 68वि. नया, 147ए नया, 351 नया, 927डी नया और 953 नया | 4,686.29 |
| 10. | हरियाणा | 1, 2, 8, 10, 11 नया, 21ए, 22, 54 नया, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए, 71बी, 236, 248 ए नया, 334बी नया, 703 नया, 709 वि. नया. और एनई-II | 2,057.48 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 1ए, 3 नया, 20, 20ए, 21, 21ए, 22, 70, 72, 72बी, 88, 73ए, 154ए नया, 305 नया, 503 नया, 503 वि. नया और 505 नया | 2,396.48 |
| 12. | जम्‍मू और कश्‍मीर | 1ए, 1बी, 1सी, 1डी, 3 नया, 144 नया, 144ए नया, 301 नया, 444 नया, 501 नया और 701 नया | 2,319.00 |
| 13. | झारखंड | 2, 6, 23, 31, 32, 33, 43 नया, 75, 78, 80, 98, 99, 100, 114ए नया, 133 नया, 133ए नया, 143 नया, 143ए नया, 220 नया, 333 नया, 333ए नया , 343 नया और 419 नया | 2,996.64 |
| 14. | कर्नाटक | 4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 50 नया, 63, 67, 67नया, 150, 150 वि. नया, 150ए नया, 167 नया, 169ए नया, 173 नया, 206, 207,209, 212, 218, 234, 275 नया और 367 नया | 6,294.29 |
| 15. | केरल | 17, 47, 47ए, 47सी, 49, 183ए नया, 185 नया, 208, 212, 213, और 220 | 1,811.52 |
| 16. | मध्‍य प्रदेश | 3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 26बी, 27, 43 नया, 56 नया, 59, 59ए, 69, 69ए, 75, 76, 78, 86, 92 और 927ए नया | 5,184.57 |
| 17. | महाराष्‍ट्र | 3, 4, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 26बी, 50, 69, 150 वि. नया, 161 नया, 204, 211, 222, 348 नया, 848 नया, 160 नया, 166 नया, 166ए नया, 348 नया, 361 नया, 363 नया, 753 नया, 753ए नया, 753बी नया, 848ए और 930 नया | 6,451.44 |
| 18. | मणिपुर | 39, 53, 102ए नया, 102बी नया, 129ए नया, 108ए नया, 129 नया, 137 नया, 150, 155, 702ए नया | 1,488.74 |
| 19. | मेघालय | 40, 44, 51, 62 और 127बी नया | 1,204.36 |
| 20. | मिजोरम | 6 नया, 44ए, 54, 54ए, 54बी, 150, 154, 302 नया, 502ए नया | 1,181.00 |
| 21. | नगालैंड | 36, 39, 61, 129 नया, 129ए, 150, 155, 702 नया, 702ए नया और 702बी | 1,080.09 |
| 22. | ओडिशा  | 5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 130सी नया, 153बी नया, 157 नया, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217, 220 नया, 224, 326 नया और 326 ए नया | 4,644.52 |
| 23. | पुदुचेरी | 45ए और 66 | 64.03 |
| 24. | पंजाब | 1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72, 95, 103 ए नया, 503 वि. नया , 703 नया 703ए नया और 754 नया | 2,136.15 |
| 25. | राजस्‍थान | 3, 3ए नया, 8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 25 वि. नया, 54 नया, 65, 65ए नया, 71बी, 76, 76ए नया, 76बी नया, 79, 79ए नया, 89, 90, 113, 112, 114 , 116, 116ए नया, 158 नया, 162ए नया, 162 वि. नया, 248ए नया, 325 नया, 709 वि. नया और 927ए नया | 7,806.20 |
| 26. | सिक्‍किम | 31ए, 310, 310ए नया, 510 नया, 710 नया | 309.00 |
| 27. | तमिलनाडु | 4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226वि., 227, 230, 234, 381 नया, और 532 नया | 5,006.14 |
| 28. | त्रिपुरा | 44 , 44ए और 208 नया | 577.00 |
| 29. | तेलंगाना | 7, 9, 16 202 ,221,222,326 नया, 167 नया, 150 नया, 363 नया, 365 नया, 565 नया, 161, 765 नया, 50 नया, 563 नया और 365ए नया | 2,743.34 |
| 30. | उत्‍तराखंड | 58, 72, 72ए, 72बी,73, 74, 87, 87 वि., 94, 107 नया, 108, 109, 123, 119, 121 , 125और 309ए नया | 2,364.92 |
| 31. | उत्‍तर प्रदेश | 2, 2ए, 3, 3ए नया, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93 ,96, 97 , 119, 219 नया, 231, 232, 232ए, 233, 235, 330, 330ए नया, 334बी नया, 730 नया, 730ए नया, 931 नया, 931ए नया और एनई-II | 7,863.00 |
| 32. | पश्‍चिम बंगाल | 2, 2बी, 6, 10, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81, 114ए नया, 116बी नया, 117, 131ए, 133ए नया, 317ए, 327बी, 512 नया और 717. | 2,909.80 |
| 33. | अंडमान और निकोबारर द्वीप समूह  | 223 | 330.70 |
| 34. | दादरा और नागर हवेली | 848ए नया | 31.00 |
| 35. | दमन और दीव | 848बी नया और 251 नया | 22.00 |

\*\*\*\*\*